

सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. ममता बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, सूरतगढ़ बी.एड. कॉलेज, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सारांश:—

मानव अधिकारों को इस रूप में देखा जा सकता है कि यह मानव की गरिमा को पल्लवित करने तथा भविष्य में मानव अधिकार संस्कृति को विकसित करने का प्रयास है। इनमें कि मानव सभ्यता का सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके लिए व्यक्ति, समाज तथा राज्य को सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रयास करना होगा।

प्रस्तुत शोध में प्रजावली के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी संगठन के सदस्यों को मानवाधिकार के प्रति जागरूकता की जांच की गई है तथ्यों के विष्लेषण से सरकारी व गैर सरकारी संगठन के सदस्यों की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

प्रस्तावना:—

विष्य के विकसित एवं सभ्य राष्ट्रों की आधारिता मानव अधिकार है। इन अधिकारों व अभाव में मानव अपना स्वतंत्र चिन्तन नहीं कर सकता और बिना स्वतंत्र चिन्तन के मानव कल्याणकारी योजनाएँ नहीं बना सकता। विष्य के प्रत्येक मानव की यह प्रबल आकांक्षा होती है कि उसको मानवाधिकार प्राप्त हो। इस हेतु जनजागृति फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में विष्य भर में मनाया जाता है।

मानव अधिकार शब्द के ही सुरूपता है कि मानव होने के कारण प्राप्त अधिकार व्यक्ति को जन्मजात कुछ अधिकार जो जीवन जीने, सर्वांगीण व अन्तर्निहित उन्नति के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में —सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार, मानव के लिए वे स्वीकृत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व पर्यावरणीय हालात, जो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों को प्राप्त एवं उपयोग करने हेतु विषेष योग्यता, विषेषता या परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है। मानव में अन्तर्निहित क्षमताओं—योग्यताओं को विकसित करने योग्य परिस्थितियों की उपलब्धि ही मानव अधिकार है।

समस्या कथन:—

“सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन”

शोध की आवश्यकता एवं महत्व :—

आज विष्य के प्रत्येक देश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जिसमें ज्यादातर अफ्रीका व एशिया के राष्ट्रों में मानवाधिकारों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन

देशों के लोगों में इतनी असमानता बढ़ गई है कि एक व्यक्ति को खाने के लिए भोजन एवं पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो दूसरे के पास इतना धन है कि रखने के लिए जगह नहीं है। भारत में जिसका प्रत्यक्ष प्रणाम सी.बी.आई. द्वारा अनेक स्थानों पर मारे गए छापों के दौरान मिलने वाला काला धन है। यह हम सभी को सोचने के लिए विषय करता है कि क्या हमें भ्रष्टाचार फैलाने की ही स्वतन्त्रता है ? क्या विकास की गति पर्याप्त है ? क्या हमने अधिकारों को प्राप्त कर लिया है ? क्या शिक्षा का स्तर विकसित राष्ट्रों की शिक्षा के समान है ? क्या हम अधिकारों के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं ?

इन सभी प्रेषणों का उत्तर शायद नकारात्मक ही मिलेगा तो इनको प्राप्त करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है ? आज यह सब हर कोई महसूस कर रहा है, लेकिन समाधान के लिए आगे नहीं आ पाता है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन आगे आकर इन समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर आवश्यक कदम उठायें। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षाविदों पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है कि संगठित होकर मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। कहा जाता है कि संगठन में शक्ति होती है तो संगठित होकर कार्य करके हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

उद्देश्य :-

1. सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन।
2. सरकारी व गैर सरकारी संगठन के महिला वर्ग की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन।
3. सरकारी व गैर सरकारी संगठन के पुरुष वर्ग की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन।

परिकल्पनाएँ :-

1. सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. सरकारी व गैर सरकारी संगठन के महिला वर्ग की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. सरकारी व गैर सरकारी संगठन के पुरुष वर्ग की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि :-

प्रस्तुत शोध के लिए अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्ष :-

न्यादर्ष संपूर्ण जनसंख्या का एक अंश होता है। न्यादर्ष का तात्पर्य संपूर्ण से अध्ययन के लिए ऐसी इकाई को पृथक करना है, जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व

करती है। न्यादर्ष, प्रविधि, शोधकार्य को व्यावहारिक बनाती है तथा इसे समय, धन व शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बना देती है।

न्यादर्ष का वर्गवार वितरण

क्र0 स0	वर्ग	संगठन		योग
		सरकारी	गैर सरकारी	
1	महिला	15	15	30
2	पुरुष	15	15	30
	योग	30	30	60

शोध अध्ययन के उपकरणः—

सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के अध्ययन हेतु स्वनिर्मित प्रेषावली का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकी प्रविधियाँः—

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

1. मध्यमान
2. मानक-विचलन
3. टी-मूल्य

विष्लेषण :-

सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता सारणी संख्या —1

क्र0 स0	संगठन	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	मानक त्रुटि	टी-मूल्य	परिणाम
1	सरकारी संगठन	30	15.00	3.405	0.94	0.531	स्वीकृत
2	गैर-सरकारी संगठन	30	14.50	3.927			

स्तर 0.01 = 2.66

स्तर 0.05 = 2.00

उपरोक्त तालिका के विष्लेषण से ज्ञात होता है कि सरकारी व गैर सरकारी संगठन के सदस्यों के मध्यमान क्रमशः 15.00 तथा 14.50 है तथा मानक विचलन क्रमशः 3.405 तथा 3.927 है। गणना से प्राप्त टी मूल्य 0.531 स्वतन्त्रता के अंष 58 के अनुसार 0.05 स्तर पर 2.00 से कम प्राप्त हुआ है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता सारणी संख्या —2

क्र0 स0	संगठन	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	मानक त्रुटि	टी—मूल्य	परिणाम
1	सरकारी संगठन	15	14.80	3.762	1.432	0.139	स्वीकृत
2	गैर—सरकारी संगठन	15	14.60	4.077			

स्तर 0.01 = 2.76

स्तर 0.05 = 2.05

उपरोक्त तालिका के विष्लेषण से ज्ञात होता है कि सरकारी व गैर सरकारी संगठन की महिला वर्ग के मध्यमान क्रमशः 14.80 तथा 14.60 है तथा मानक विचलन क्रमशः 3.762 तथा 4.077 है। गणना से प्राप्त टी मूल्य 0.139 स्वतन्त्रता के अंष 28 के अनुसार 0.05 स्तर पर 2.05 से कम प्राप्त हुआ है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता सारणी संख्या –3

क्र0 स0	संगठन	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	मानक त्रुटि	टी—मूल्य	परिणाम
1	सरकारी संगठन	15	15.20	3.186	1.274	0.627	स्वीकृत
2	गैर—सरकारी संगठन	15	14.40	3.977			

स्तर 0.01 = 2.76

स्तर 0.05 = 2.05

उपरोक्त तालिका के विष्लेषण से ज्ञात होता है कि सरकारी व गैर सरकारी संगठन की पुरुष वर्ग के मध्यमान क्रमशः 15.20 तथा 14.40 है तथा मानक विचलन क्रमशः 3.186 तथा 3.977 है। गणना से प्राप्त टी मूल्य 0.627 स्वतन्त्रता के अंष 28 के अनुसार 0.05 स्तर पर 2.05 से कम प्राप्त हुआ है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

अतः स्पष्ट है कि सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः इस आधार पर यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।

शोध निष्कर्ष :—

प्रस्तुत शोध से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं:—

1. सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. सरकारी व गैर सरकारी संगठन की महिला वर्ग की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

3. सरकारी व गैर सरकारी संगठन के पुरुष वर्ग की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. फड़िया बी.एल
(2001) — “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति”
साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा
2. बाबेल, बसंती लाल
(1997) — “मानवाधिकार सैन्ट्रल लॉ एजेन्सी”
इलाहाबाद
3. मलिक, बी.एन.
(2001) — “फिलोसोफिकल फॉर दी पॉलिटिक्स”
ज्ञान प्रकाषन आगरा
4. फड़िया बी.एल
(2001) — “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति”
साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा
5. वार्कर अनेस्ट
सिद्धांत”
(1971) — “सामाजिक तथा राजनीतिकषास्त्र के
हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, चण्डीगढ़
6. वीरेन्द्र प्रकाष शर्मा — “मानवाधिकार और शिक्षा ”
राजस्थान प्रकाषन, जयपुर
7. बजाज — “मानवाधिकार का मानवीय पत्र की संवेदना
से संबंध”